

## न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 89 / 2021

तुलसीराम इन्दौलिया एडवोकेट भरतपुर किराया प्राधिकरण न्यायालय के सामने ब्लांक बी-6 भरतपुर ।

बनाम

तहसीलदार, भरतपुर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश


दिनांक 25.11.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तुलसीराम इन्दौलिया एडवोकेट भरतपुर किराया प्राधिकरण न्यायालय के सामने ब्लांक बी-6 भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2021 से तहसीलदार भरतपुर से सूचना चाही गई थी। तहसीलदार भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/695 दिनांक 09.11.2021 के द्वारा तहसीलदार भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबंध तहसीलदार भरतपुर से पत्र क्रमांक/ भू0अ0/7651 दिनांक 24.11.2021 के द्वारा जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई बिन्दुओं की सूचनाएं तहसीलदार भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त ने तहसीलदार भरतपुर से सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त जवाब पत्र क्रमांक 7651 दिनांक 24.11.2021 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भरतपुर ने अपने जवाब पेश करते हुये अपीलार्थी की सूचना प्राप्त करने की प्राप्ती रसीद की प्रति भी भिजवाई गई है। इससे जाहिर होता है कि रेस्पों. ने अपीलान्त को वांछित सूचनाएं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को ( तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को भी भेजी जावे।



( हिमांशु गुप्ता )  
जिला कलक्टर  
भरतपुर